न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/274

हमीर सिंह आत्मज कल्याण सिंह आयु 78 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह आत्मज अखेराज सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कल्याण सिंह राजावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा में सेटलमेंट से पूर्व वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 94 की 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 92/1–5 की 01 बीघा, खसरा नम्बर 147/2 की 01 बीघा 04 बिस्वा कुल 03 किता की 05 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 117 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 की रकबा 0.11 हैक्टर कुल 05 किता की रकबा 0.65 हैक्टर कायम किये गये । वादी पुराने खसरा नम्बर के अनुसार मौके पर 05 बीघा 12 तबिस्वा भूमि यानि 0.90 हैक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है । सेटलमेंट के अधिकारियों ने

सेटलमेंट के दौरान नये खसरा नम्बर कायम कर वादी की भूमि कम दर्ज की गई है जबकि वादी पुराने रकबा के अनुसार 05 बीघा 12 बिस्वा भूमि के अनुसार 0.90 हैक्टर भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है । इस कारण वादी 0.65 हैक्टर के स्थान पर 0.90 हैक्टर भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है । उक्त भूमि से प्रतिवादी कम 01 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इसके बावजूद भी प्रतिवादी कम 01 वादी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने तथा वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर मिट्टी की ईटें बनाने पर आमादा हैं जिस हेतु प्रतिवादी कम 01 वादी के खेत पर दिनांक 02.04.2011 को आया और वादी को उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर मिट्टी की ईटें बनाने का काम चाले करने की धमकी दी जिसका प्रतिवादी कम 01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 94 की 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 117 की 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 की 0.16 हैक्टर कुल 0.42 हैक्टर के स्थान पर 0.54 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 92/1–5 की 01 बीघा के नये खसरा नम्बर 121 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 की 0.07 हैक्टर कुल 0.12 हैक्टर के स्थान पर 0.16 हैक्टर भूमि व पुराने खसरा नम्बर 147/2 की 01 बीझरर 04 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 135 की 0. 11 हैक्टर के स्थान पर 0.19 हैक्टर भूमि का रकबा पूर्ण करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में 0.90 हैक्टर भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे एवं 0.65 हैक्टर के स्थान पर 0.90 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कियाक जावे कि वे अवैधानिक तौर पर जबरन ताकत के बल पर वादी को उसके खाते की उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करे ईंट बनाने का प्रयास नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2015 के द्वारा सहमति के आधार पर वाद वादी खारिज कर दिया व खसरा नम्बर 117 व 118 के सम्बन्ध में डिक्री दिनांक 07.02.2003 की पालना के आदेश दिये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर किये बिना ही वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी डिक्री में खसरा नम्बर 117 व 118 की डिक्री बाबत् जिक्र कर दावा खारिज कर दिया । खसरा नम्बर 117 व 118 बाबत् डिक्री दिनांक 07.02.2003 को हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित तथ्यों का व उसमें वर्णित रकबा का विवेचन किये बिना आदेश पारित किया है जो कानूनी दृष्टि से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी डिक्री में आराजी खसरा नम्बर 117 व 118 की डिक्री बाबत् जिक्र कर दावा खारिज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 117 एवं 118 बाबत् डिक्री दिनांक 07.02.2003 को हो चुकी थी और इन खसरा नम्बरान का वर्तमान दावे से कोई सम्बन्ध नहीं था । वर्तमान में खसरा नम्बर 121, 125 और 135 का रकबा कम किया गया है जिसको दुरूस्त करने के लिए दावा पेश किया गया था । लोक अदालत में विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने यह कथन करते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है कि उसके साबिक खसरा नम्बर 94, 92/1–5, खसरा नम्बर 147/2 की कुल 05 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित थी । सेटलमेंट के द्वारा इसके नये खसरा नम्बर 117 और 118, 125, 121 और 135 कायम कर कुल रकबा 0.65 हैक्टर दर्ज कर दिया जबकि इसका रकबा 0.90 हैक्टर होना चाहिए । इसलिए नये खसरा नम्बर 117 रकबा 0.26 हैक्टर और खसरा नम्बर 118 रकबा 0.16 हैक्टर कुल 0.42 हैक्टर के स्थान पर 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 का रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 की 0.07 हैक्टर कुल रकबा 0.12 हैक्टर के स्थान पर 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 की रकबा 0.11 हैक्टर के स्थान पर 0.19 हैक्टर दर्ज किया जावे । दावा दिनांक 15.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादीगण उपस्थित हुए हैं और एक अन्य प्रकरण सरकार बनाम हमीर सिंह 150/2000 उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपियॉ वादी के द्वारा पेश की गई । वादी के वकील भी उपस्थित हुए हैं । वादी और उनके अभिभाषक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 117 और 118 के बाबत् निर्णय दिनांक 07.02.2003 पारित हो चुका है उस निर्णय की पालना करवा दी जावे और वर्तमान प्रकरण को खारिज किया जावे । इस सहमति के आधार पर दावा वादी खारिज कर डिक्री दिनांक 07.02.2003 की पालना करने का आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार यह निर्णय वादी की सहमति के आधार पर पारित किया गया है । सहमति के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि वादी अपीलान्ट यह महसूस करते हैं कि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका में उनकी सहमति के बाबत् जो आदेश अंकित किया गया है उसमें उनकी सहमति नहीं थी तो वो परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु सहमति के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/274

हमीर सिंह आत्मज कल्याण सिंह आयु 78 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह आत्मज अखेराज सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 32/दावा/2011

हमीर सिंह आत्मज कल्याण सिंह आयु 78 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह आत्मज अखेराज सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.08.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कल्याण सिंह राजावत अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/8/20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2020.08.26 13:04:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: